



Neutral Citation No.-2026:AHC:1200

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-23490 वर्ष 2025

सौरभ आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सुशील कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पांडे और राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के अपराध संख्या-33 में भन्दवि, थाना-शामली, जिला: शामली की धारा 302, 201 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। उसे केवल मृत व्यक्ति के नाबालिग बच्चों के बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है।
5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक ने मृत व्यक्ति से दोबारा शादी की थी क्योंकि वह विधवा थी। आवेदक 24.01.2024 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. तत्सम्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है कि यह एक खुला और बंद मामला है क्योंकि आवेदक एकमात्र आरोपी व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की है और मृत व्यक्ति की बेटी ने उसके खिलाफ गवाही दी है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृत व्यक्ति की बेटी ने आवेदक के खिलाफ गवाही दी है, मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए यह उचित मामला नहीं लगता।

8. तदनुसार, ज़मानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से निर्णय लिया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 6, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)